

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल ।

पत्रांक २०१० / १३० दिनांक

०१-१२-२०१५ ।

सेवा में,

वन संरक्षक,

दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त, नैनीताल ।

विषय:-

देवीपुरा सौड तथा धुधुखान सौड मध्य मिसिंग मोटर मार्ग FP/UK/ROAD/ 9093 /2015 ।

संदर्भ:-

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी उत्तराखण्ड देहरादून का E.D.S दिनांक 28-9-2015
आपका ऑन लाईन ई0डी0एस0 पत्रांक 667/13-1 दिनांक 29-9-2015 अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय
खण्ड लो0नि0वि0 नैनीताल का ऑन लाईन ई0डी0एस0 पत्रांक 1900/29एम0सी0 दिनांक 8-10-2015
। इस कार्यालय का पत्रांक 1017/13-मिसिलिंग दिनांक 12-10-2015 । आपका ई0डी0एस0 पत्रांक
1026/13-1 दिनांक 1-12-2015 ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय मार्ग के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा माँगी गई बिन्दुवार आख्या लो0नि0वि0 द्वारा निम्न प्रकार प्रेषित की गई । जिसको पुनः अपलोड की जा रही हैं ।

1-FRA Certificate जिला स्तरीय समिति की कार्यवाही संलग्न कर पुनः अपलोड कर दिया गया है ।

2- डिजिटल मैप में जिओकोर्डिनेट्स चार स्थानों पर अंकित कर दिये गये हैं ।

3- धुधुखान सौड एवं देवीपुरा सौड दोनों मार्गों एवं प्रस्तावित मोटर मार्ग को प्रदर्शित करता हुआ एक संशोधित मैप अपलोड कर दिया गया है ।

4- मार्ग निर्माण हेतु पूरी लम्बाई में 9 मीटर चौड़ाई की भूमि हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित की गई हैं । मक डिपोजल प्लान मार्ग का निर्माण आंशिक रूप से कटिंग तथा फिलिंग करके किया जाना प्रस्तावित किया गया है ।

5-प्रस्तावित मार्ग में कुल 34 वृक्ष प्रभावित होते हैं । जिसमें 0-10 व्यास सेमी के 14 वृक्ष जो वृक्षों की सूची के साथ टिप्पणी में अंकित किये गये हैं । पार्ट-II में 20 वृक्ष अंकित किये गये हैं ।

6- Site Inspection Report Column 5.4 and 5.5 पुनः Upload कर दी गई हैं ।

7- बिन्दु नं0 5 के कम में अवगत कराना है कि प्रस्तावित मार्ग वन पंचायत भूमि में प्रस्तावित किया गया है जिसकी कोई कार्ययोजना नहीं है तथा पार्ट 2 के बिन्दु नं0 12 के क्रम में अवगत कराना है कि Processing Form(Part-II)(To be filled by the concerned Deputy Conservator of Forests) के बिन्दु संख्या 8 में Detail of violation (s),if any, committed: में सूचना No प्रविष्टि की गयी है किन्तु पार्ट नं0 2 के बिन्दु संख्या 12 में प्रविष्टि नहीं की जा सकती क्योंकि बिन्दु संख्या 12 का उल्लेख Processing Form(Part-II) (To be filled by the concerned Deputy Conservator of Forests) में नहीं है । पार्ट नं0 2 के बिन्दु संख्या 12 की सूचना नहीं(NO) समझी जाए ।

अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 नैनीताल का पत्र मय संलग्नक के संलग्नक किया जा रहा है ।

संलग्नक- यथोपरि ।

भवदीया

प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल ।

पत्रांक / उक्तदिनांकित ।

प्रतिलिपि निम्न लिखितों को उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित ।

1- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी उत्तराखण्ड देहरादून ।

2- वन संरक्षक दक्षिणी कुमाऊ वृत्त उत्तराखण्ड नैनीताल ।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल ।

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम— जनपद नैनीताल में घुघुखान-सौड़ एवं देवीपुरा सौड़ मोटर मार्ग के मध्य मिसिंग लिंक मार्ग का निर्माण।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र

जनपद नैनीताल में घुघुखान-सौड़ एवं देवीपुरा सौड़ मोटर मार्ग के मध्य मिसिंग लिंक मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित 0.660 हैक्टेयर बनभूमि प्रयोक्ता एजेंसी प्रांतीय खण्ड खण्ड लोक निर्माण विभाग नैनीताल को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी /अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय बन अधिकार समिति, नैनीताल तथा संबंधित ग्राम सभा द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये गये हैं। बन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण-पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व आदिवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली बन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

जिला उपजिलाधिकारी
नैनीताल

जिलाधिकारी,
नैनीताल।

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Nainital

No:-

Dated 28-11-2014

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.360 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of P.D., P.W.D, Nainital for Construction of Missing Link Between Ghughukhan – Saur Motor Road and Devipura-Saur Motor Road in Nainital district falls within jurisdiction of Saur village (s) in Nainital tehsil.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.360 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 23 to 23.2 annexure.
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoerment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

Signature
(Full name and official seal of the District Collector)

जिलाधिकारी

नैनीताल

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT NAINITAL (UK.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Nainital district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Deepak Rawat I.A.S District Magistrate on date 28-11-14 at time 3.10 PM at Nainital in which application claiming rights in Nainital Tehsil area measuring 0.360 hect. for the construction Missing link between Ghugukhan – Saur Motor Road and Devipur Sour Motor Road in District Nainital under state sector (0.660 Km.) of forest land under FRA 2006 is duly processed and recommended by the sub division level committee of Nainital sub division. were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the document and detailed discussion, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Nainital

Dated: 28-11-2014

जिला सहायक प्रमुख, डी.डी. कार्यालय
नैनीताल

District Magistrate Cum Chairman
District Level Committee

Nainital
जिलाधिकारी
नैनीताल

प्रम. गीता नैनीताल
नैनीताल एवं प्रभाग, नैनीताल.

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
नैनीताल

दूरभाष न० 05942- 235572 फ़ैक्स न० 05942-233549 ई-मेल- eepdpwdntl@gmail.com

पत्रांक :- 1900/29 एफ़डी

दिनांक :- 01/09/2015

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

विषय :-

देवीपुरा सौड़ तथा घुंघुखान सौड़ के मध्य मिसिंग मोटर मार्ग FP/UK/ROAd/ 9093/2015

सन्दर्भ :-

आपका कार्यालय पत्रांक 884 /13 दिनांक 29.09.2015

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं सन्दर्भ में सूचित करना है कि बिन्दु संख्या 1 से 7 की आख्या पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक 1666/29 एम0जी0, दिनांक 28.08.2015 द्वारा आपको पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है। सुलभ सन्दर्भ हेतु पुनः सूचना ऑन लाइन प्रेषित की जा रही है।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
नैनीताल

पत्रांक :-

/

दिनांक :-

प्रतिलिपि :-

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून।

प्रतिलिपि :-

वन संरक्षक दक्षिणी कुमाउँ वृत्त, उत्तराखण्ड नैनीताल।

प्रतिलिपि :-

सहायक अभियन्ता, द्वितीय प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
नैनीताल

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
नैनीताल

दूरभाष न० 05942- 235572 फैक्स न० 05942-233549 ई-मेल- eepdpwdntl@gmail.com

पत्रांक :-
सेवा में,

/29एम0जी0

दिनांक :-

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग,
नैनीताल ।

विषय :-

सन्दर्भ :-

घुघुखान -सौड़ मोटर मार्ग एवं देवीपुरा सौड़ मोटर मार्ग के मध्य मिसिंग लिंक मोटर मार्ग
(PF/UK/Road/9083/2015) के संबंध में।
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी देहरादून का EDS दिनांक 21.7.2015 तथा वन
संरक्षक दक्षिणी कुमाऊ वृत्त उत्तराखण्ड नैनीताल का EDS दिनांक 22.7.2015 एवं आपका
पत्रांक 242/13- देवीपुरा दिनांक 22.7.2015 ।

महोदय,

- बिन्दु सं० 1. उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में चाही गयी सूचना पर बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार है।
एफ0आर0ए0 प्रमाण पत्र जिलास्तरीय कमेटी की मीटिंग प्रोसेडिंग सहित पुनः अपलोड कर दिया गया है।
- बिन्दु सं० 2. डिजिटल मैप में जिओकोर्डिनेट्स चार स्थानों पर अंकित कर दिये गये हैं।
- बिन्दु सं० 3. घुघुखान सौड़ एवं देवीपुरा सौड़ दोनों मार्गों एवं प्रस्तावित मोटर मार्ग को प्रदर्शित करता हुआ एक संशोधित मैप अपलोड कर दिया गया है।
- बिन्दु सं० 4. मार्ग निर्माण हेतु पूरी लम्बाई में 9 मीटर चौड़ाई की भूमि हस्तांतरण हेतु प्रस्तावित की गयी है। मक डिस्पोजल प्लान, मार्ग का निर्माण आंशिक रूप से कटिंग तथा फिलिंग करके किया जाना प्रस्तावित किया गया है। अतः मक डिस्पोजल के लिए अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता नहीं है।
- बिन्दु सं० 5,6 तथा 7. तीनों बिन्दुओं पर कार्यवाही आपके स्तर से की जानी है।
अतः अनुरोध है कि प्रकरण पर अपने स्तर से अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय

(इ० एस०के०गर्ग)
अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
नैनीताल

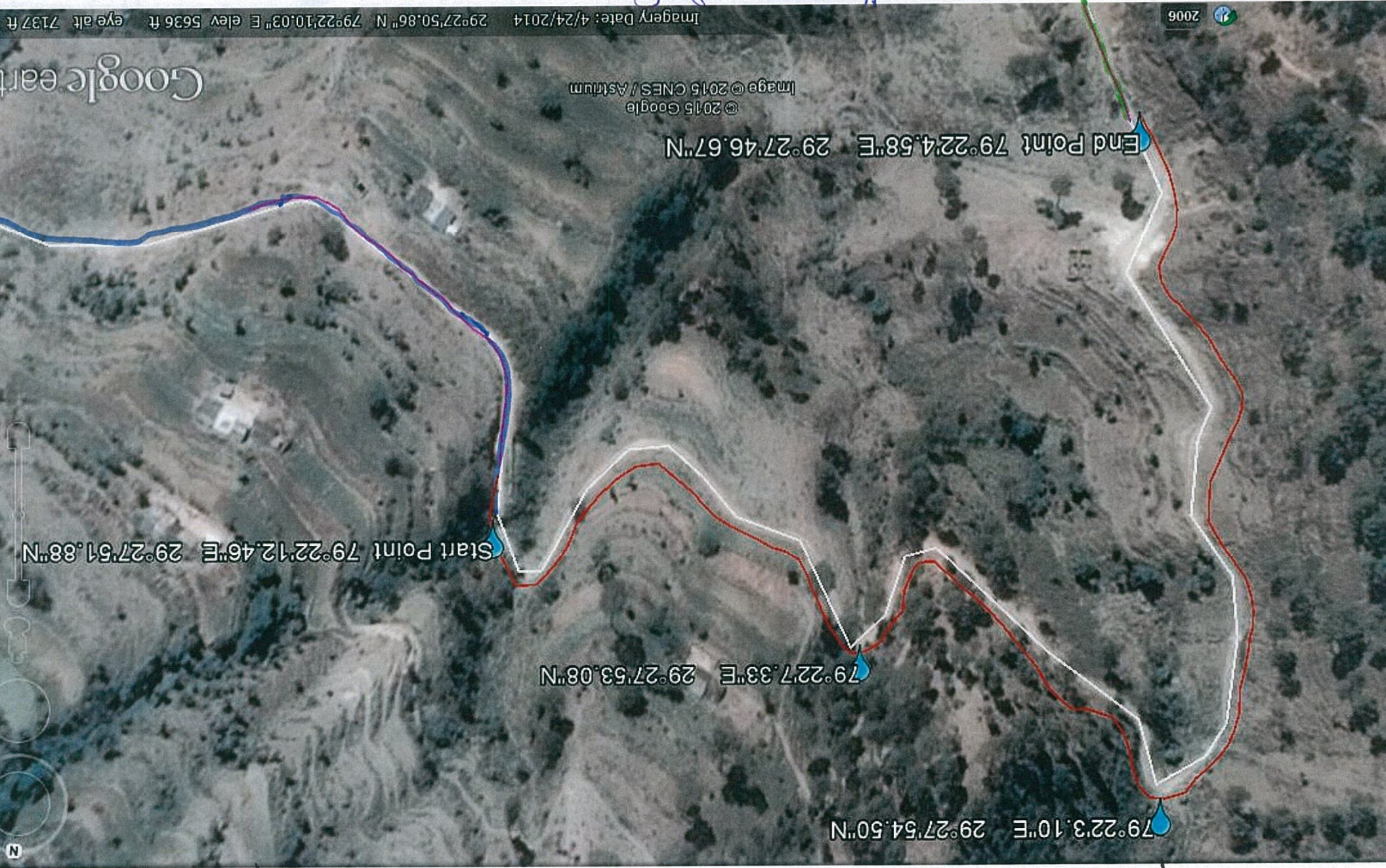
पत्रांक :- 1668 /29एम0जी0

1. प्रतिलिपि:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
दिनांक :- 28/8/2015
2. प्रतिलिपि:- वन संरक्षक, दक्षिणी कुमाऊ वृत्त, उत्तराखण्ड नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रतिलिपि:- सहायक अभियन्ता द्वितीय प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रतिलिपि:- स्वयं को ।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
नैनीताल

Missing link between Chugkhan Sam M Road
and Deripura Sam M Road.

Legend
 Prop. Road
 Chugkhan Sam Road
 Deripura Sam Road



सहायक अभियन्ता
 भारतीय वायु सेना
 भारतीय वायु सेना

ARC

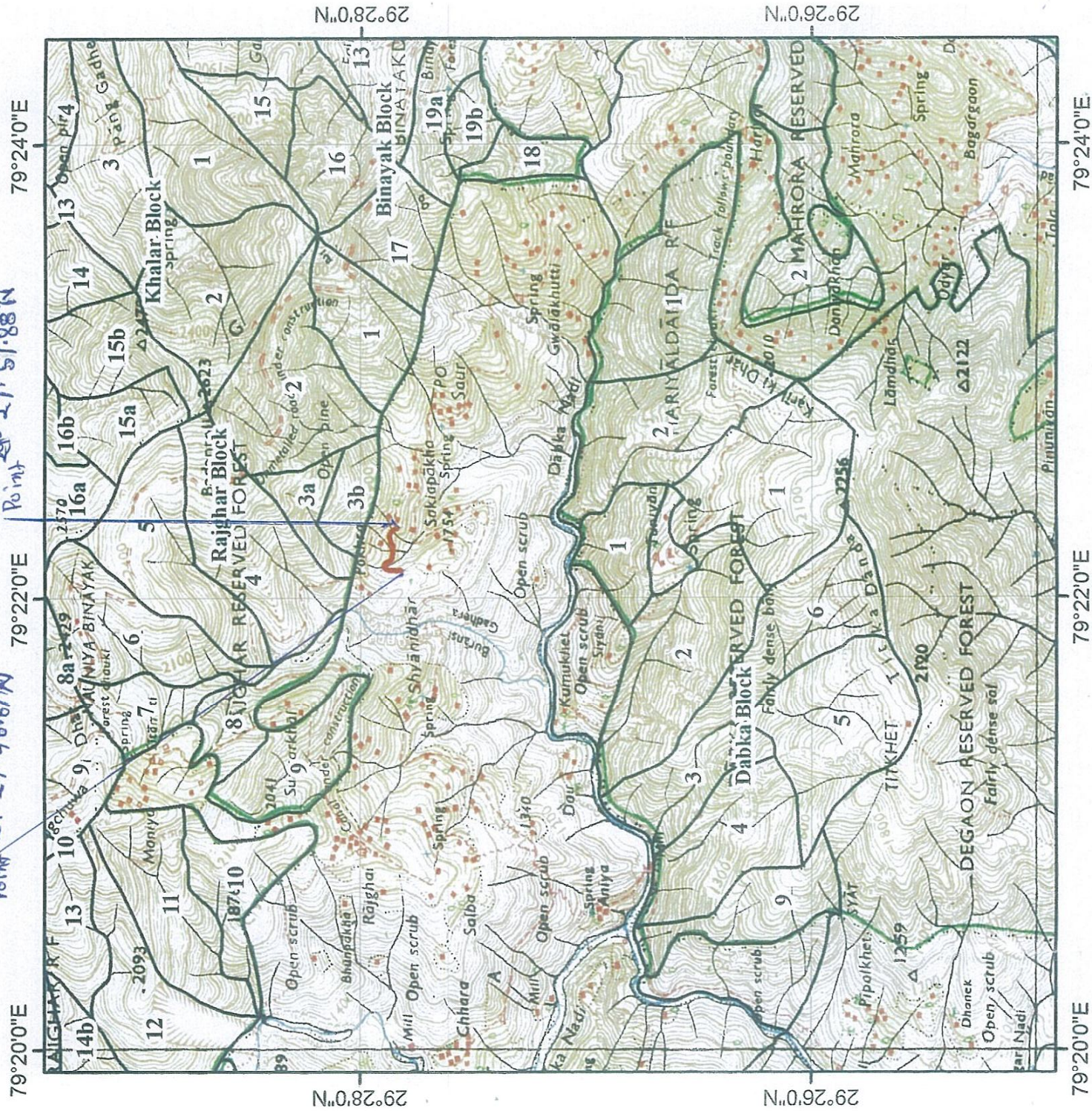
डिजिटल मैप-जनपद नैनीताल में घुघुखान-सौड़ मोटर मार्ग एवं देवीपुरा-सौड़ मोटर मार्ग के मध्य मिसिंग लिंक मार्ग का निर्माण (लम्बाई-0.660 किमी0)



0 0.5 1Km

End 79°22'4.58"E
Point 29°27'46.67"N

Start 79°22'12.46"E
Point 29°27'51.88"N



Legend

— Proposed Road

Reserve Forest Boundary

उप प्रभागीय वारिष्काजी (नै०)
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

सहायक अभियन्ता

प्रभागीय वारिष्काजी
नैनीताल वन प्रभाग

प्रारूप-7

SITE INSPECTION REPORT- NOT BELOW THE RANK OF DCF

(for the forest land to be diverted under FCA)

5.1 A proposal has been received by this office from **Executive Engineer Provincial Division P.W.D.Nainital** for diversion under FCA-1980) of **0.360** ha. of forest land for non-forestry purpose. The project envisages the use of forest land for construction of **Missing Link between Ghughukhan Saur Motor Road and Devipura Saur Motor**. The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on dated.. **6-5-2015**

5.2 On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/un-classed/Other forests measuring **0.360ha.** van panchayat

5.3 The requirement of forest land as proposed by the user agency in Co1.2 part-1 is unavoidable and is barest minimum required for the project. **yes**

5.4 Whether any rare /endangered /unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of :- **no**

5.5 Whether any protected archeological /heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area, if, so the details thereof with NOC from competent authority, if required.- **no**

a) ☒ The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction.

b) ☒ It has been found that the user agency has violated (Conservation), Act, and 1980 provisions. A details report as per para 1.9 of chapter 1, Para C of Hand book of forest (Conservation) Act, 1980 attached.

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

प्रस्तावित मार्ग धुधुखान सौड मोटर मार्ग के निर्माण की 11 किमी० की स्वीकृति 2006 में अधिशासी अभियन्ता प्रा०ख० नैनीताल को प्राप्त थी एवं देवीपुरा सौड मोटर मार्ग के निर्माण की 29 किमी० की स्वीकृति 2007 में अधिशासी अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई० को प्राप्त थी । जिसमे दौनो मार्गों के मध्य 660 मीटर भाग छूट गया , प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा धुधुखान सौड मोटर एवं देवीपुरा सौड मोटर मार्ग के मध्य मिसिंग प्रस्ताव गठित किया गया । जिसमें 400 मीटर लम्बाई तथा 7 मीटर चौड़ाई में 0.360 है० वन पंचायत भूमि एवं 260 मीटर में नाप भूमि प्रभावित होती हैं । उक्त प्रस्तावित मार्ग के प्रस्तावित समरेखण में 34 वृक्ष विभिन्न प्रजाति के प्रभावित होते हैं । जिसमें से 14 वृक्ष विभिन्न प्रजाति के 0-10 व्यास सेमी जिसमें से केवल 1 वृक्ष बॉज प्रजाति का सम्मिलित हैं तथा 10-20 व्यास सेमी० के 2 वृक्ष जिसमें से 1 वृक्ष बॉज प्रजाति का प्रभावित होता हैं कुल 16 वृक्षों की प्रत्यारोपण की योजना तैयार की गई हैं । स्थल निरीक्षण के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त मार्ग के निर्माण से सौड ,धुधुखान, बासी तथा देवीपुरा ग्राम के 2264 जन संख्या लाभान्वित होते हैं । अतः प्रस्ताव को भारत सरकार की स्वीकृति हेतु संस्तुति सहित अग्रसारित किया जाता हैं ।

Place:-Nainital

Date... **6-5-2015**

Name..... **praf**
Designation..... **प्रभाषि वनाधिकारी**
Office Seal..... **नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल.**

N.B. x State the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.

xx out of(a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2/2000 FC dated 16-10-2000 from ministry of Environment & Forest, Government of India for proposal involving less then 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more the 40 hectares of forest land site inspection report from the conservator of forests is required.